न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—228 / 2024

प्रार्थी::—

मालसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. पर्वतसिंह पुत्र सोनसिंह जाति राजपूत
2. कालुराम पुत्र गणेशाराम जाति भील
3. जवाराराम पुत्र गणेशाराम जाति भील
4. पुनमाराम पुत्र गणेशाराम जाति भील.

   निवासी कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थी

2. विप्रार्थी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित

::आदेश::

दिनांकः— 21-07-2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 1476 / 296 रकबा 4.1024 हैक्टेयर ग्राम कुसीप तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की दक्षिणी सीमा से लगती विप्रार्थी सं. 2 से 4 की खातेदारी भूमि ख.स. 310 आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 2 से 4 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 2 से 4 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:08:44 IST
Reason: Self Attested

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 2 से 4 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी के खातेदारी खेत 1476/296 रकबा 4.1024 हैक्टेयर से दक्षिण में स्थित विप्रार्थी संख्या 2 व 4 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 310 में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाए गया रास्ता ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पुराना खसरा संख्या 1476/296 सर्वे के पश्चात नया खसरा संख्या 40 रकबा 0.1406 हैक्टेयर भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 131 सर्वे के पश्चात वर्तमान खसरा संख्या 131 में से 67 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 0.0268 हैक्टयर भूमि तहसील सिवाना के रिपोर्ट के संलग्न बरंग लाल में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 2 से 4 को देने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के पुराना खसरा संख्या 1476/296 सर्वे के पश्चात नया खसरा संख्या 40 रकबा 0.1406 हैक्टेयर भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 310 सर्वे के पश्चात खसरा संख्या 131 में से 67 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 0.0268 हैक्टयर मे से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है।

प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि [illegible] होने के मद्देनजर प्रार्थी को विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पुराना खसरा संख्या 310 सर्वे के पश्चात नया खसरा संख्या 131 मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 2 व 4 के खातेदारी भूमि में में रास्ते हेतु 67 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 0.0268 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:08:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुसीप तहसील सिवाना की 1476/296 सर्वे के पश्चात नया खसरा संख्या 40 रकबा 0.1406 हैक्टेयर भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 310 सर्वे के पश्चात नया खसरा संख्या 131 में से 67 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 0.0268 हैक्टयर भूमि में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक–राजस्व/2025/576 दिनांक 16.07.2025 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 21.07.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:08:44 IST
Reason: SelfAttested

BhuNaksha

131

Online Users: 64

Online Visitors: 44

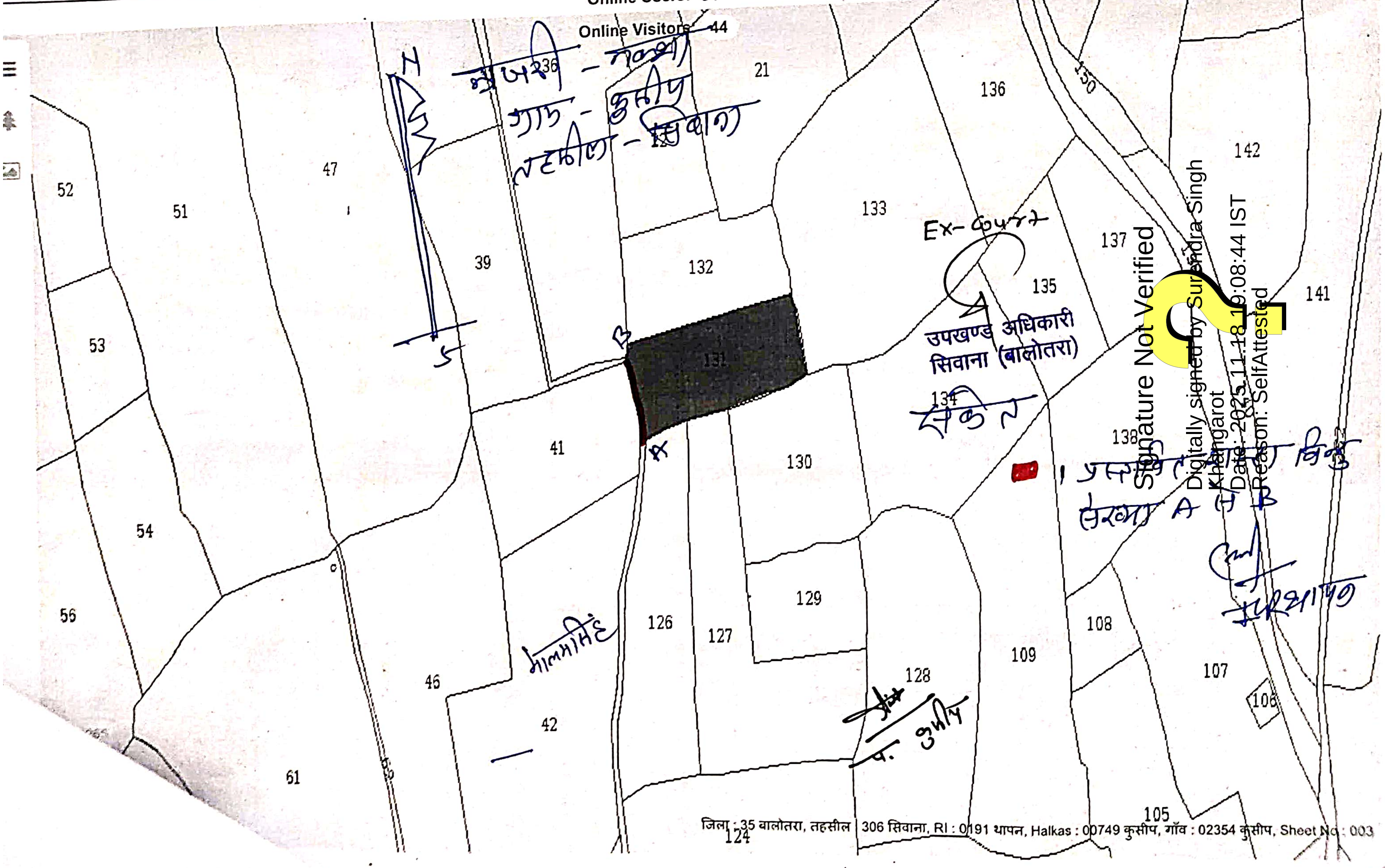

जिला : 35 बालोतरा, तहसील : 306 सिवाना, RI : 0191 थापन, Halkas : 00749 कुसीप, गॉव : 02354 कुसीप, Sheet No : 003

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot

Date: 2025.11.18 19:08:44 IST

Reason: SelfAttested

1/1